देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

—:प्रारंभिक अधिसूचनाः—

(अधिनियम—30 / 2013 की धारा—11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या 1295 / भू अ०   दिनांक : 16/8/2021

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम—बरवा, थाना—सारठ, थाना सं०—84, अंचलः—सारठ, जिला—देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **ढीवा मोड़ (रांगा सिरसा—ढीवा—कुकराहा—करौं—करमाटांड़ पथ पर) से करौं पथ (कुल लंबाई—9.050 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण / पुर्निनिर्माण परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम—बरवा, थाना—सारठ, थाना सं०—84, अंचलः—सारठ, जिला—देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.90 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है —

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	7	रैयती	बाड़ी—2	0.02	हुबी महतो वो नुनलाल महतो वो चौधरी महतो पे० स्व० विशु महतो वो हलधर महतो पे० स्व० काली महतो अंश समान सा० देह।	सड़क	मौजा पंडुवा, थाना संख्या —90	मौजा ममरजरी, थाना संख्या —83 एवं अर्जित रकवा का अंश।	अर्जित रकवा का अंश।
2	1	214	रैयती	बाड़ी—2	0.04	तथैव।				
3	1	213	रैयती	बाड़ी—2	0.02	मना महतो वो लक्ष्मण महतो वो राम महतो माता विराजी देवी वो किशन महतो माता चंचला देवी अंश समान सा० देह।				
4	3	230	रैयती	बाड़ी—2	0.04	महेन्द्र महतो वो जितेन्द्र महतो वो संतोष महतो पे० स्व० झब्बन महतो वो परेश महतो पे० स्व० असो महतो वो रावण महतो वो वासकी महतो पे० स्व० केदार महतो वो भुखल महतो वो लक्ष्मी महतो वो नारायण महतो पे० ठाकुर महतो वो यात्री देव्या पति सुरेश महतो अंश समान सा० देह।				
5	3	217	रैयती	बाड़ी—2	0.10	तथैव।				
6	3	216	रैयती	धानी—2	0.02	तथैव।				
7	6	219	रैयती	बाड़ी—2	0.05	ब्रह्मू महतो वो पुरण महतो माता स्व० निशा देवी वो सुमित्रा देवी वो देवा देवी माता स्व० मुला देवी वो पंचम महतो वो प्रेम महतो माता स्व० केटकाही देवी वो रूणा देवी पे० स्व० खेलू मांझी वो कामदेव महतो वो प्रकाश यादव वो दिनेश यादव माता स्व० उदया देवी वो सुगदेव महतो माता स्व० कमली देवी वो भगिया देवी पे० स्व० कुसुम मांझी अंश समान सा० देह।				
8	6	228	रैयती	धानी—3	0.03	तथैव।				

9	7	3	रैयती	बाड़ी–2	0.12	भुतन यादव माता स्व० पुरणी देवी सा० देह।			
10	7	220	रैयती	धानी–3	0.07	तथैव।			
11	9	12	रैयती	अहरा	0.18	मदन महतो पे० स्व० टिकैत महतो वो शशि महतो वो विस्टु महतो वो मोहन महतो वो भुवनेश्वर महतो पे० स्व० एतवारी महतो वो चंचला देव्या पति स्व० सुगदेव महतो वो सुभाष यादव वो लखन यादव पे० स्व० चंद्रिका महतो अंश समान सा० देह।			
12	9	229	रैयती	बाड़ी–2	0.11	तथैव।			
13	9	205	रैयती	बाड़ी–2	0.10	तथैव।			
				कुल रकवा–	**0.90**				

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर 28.7.21 — अपर समाहर्त्ता, देवघर — 11/08/2021

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1295/ भू अ०, देवघर, दिनांक 16/8/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला समान्य शाखा, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला गजट के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर 28.7.21 — अपर समाहर्त्ता, देवघर — 11/08/2021

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।